

ऑपरेशन नन्हे फरशिते

स्रोत: पी.आई.बी.

वर्ष 2018-2024 में **रेलवे सुरक्षा बल (RPF) 'नन्हे फरशिते'** नामक एक अभियान में अग्रणी रहा है, जो विभिन्न भारतीय रेलवे क्षेत्रों में **देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों** को बचाने के लिये समर्पित एक मशीन है।

- इस अवधि के दौरान, **RPF ने स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया** है, ताकि उन्हें संकट में पड़ने से बचाया जा सके।
 - **ट्रैक चाइल्ड पोर्टल** में पीड़ित बच्चों के संदर्भ में वसितृत जानकारी है। भारतीय रेलवे ने 135 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क स्थापित किये हैं।
 - जब कोई बच्चा RPF द्वारा बचाया जाता है, तो उसे ज़िला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है, जो बच्चे को उसके माता-पिता को सौंप देती है।
- RPF **केंद्रीय रेल मंत्रालय** के नियंत्रण में एक सशस्त्र बल है, जिसका काम **रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों की सुरक्षा करना** है।
 - RPF मूलतः वर्ष 1881 से **नज़ी रेलवे कंपनियों के वॉच एंड वार्ड सेट-अप** का हिस्सा, इसे **RPF अधिनियम, 1957** के तहत एक वैधानिक निकाय में पुनर्गठित किया गया था।
 - स्वतंत्रता के पश्चात् के समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए; सुरक्षा में सुधार के लिये वर्ष **1966 में रेलवे संपत्ति (अवैध कब्ज़ा) अधिनियम** पारित किया गया और वर्ष 1985 में RPF अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप RPF एक सशस्त्र बल के साथ-साथ एक केंद्रीय पुलिस संगठन के रूप में उभरा।

और पढ़ें: [रेलवे सुरक्षा बल का संचालन](#)